भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 376
19 नवंबर, 2019 को उत्तरार्थ

विषय: युवा सहकार सहकारिता उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना
376. श्री श्रीधर कोटागिरीः
श्री पी. वी. मिधुन रेड्डीः
श्री बी. बी. पाटीलः
श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डीः
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) के तहत युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना 2019 की शुरुआत की है जिससे युवा उद्यमियों को सहकारिता में बल मिल सके;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तेलंगाना सहित देश भर में इससे लाभान्वित युवा उद्यमियों की जिला-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या राज्यों की विभिन्न कृषि सहकारी समूहों को योजनांतर्गत कोई सहायता प्रदान की जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एनसीडीसी) ने देश में सहकारिता अवसंरचना के विकास हेतु सहकारी संस्थानों को ऋण/प्रोत्साहन/राजसहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा ऐसे संस्थानों को प्रदत्त सहायता/निधि का संस्थान और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेंद्र सिंह तोमर)

(क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक वैधानिक निगम है जिसने अक्तूबर, 2019 में "युवा सहकार-सहकारी उद्यम (एंटरप्राईज़) सहायता एवं नवाचार योजना 2019" शुरू की है।

(ख) इस योजना का विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है। इस योजना के तहत तेलंगाना सहित देश भर की सहकारी समितियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) जी, हां। कृषिगत सहकारी समितियों सहित सभी प्रकार की सहकारी समितियां इस योजना के तहत परियोजनाओं में निहित नई, नवाचारी और मूल्य श्रृंखलावर्धन हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

(घ) जी, हां। एनसीडीसी वर्ष 1963 से देश में सहकारी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए सहकारी समितियां को ऋण प्रदान कर रहा है। केन्द्रीय सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सहकारी समितियों के लिए एनसीडीसी के माध्यम से राजसहायता या भारत सरकार से प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

(ड.) पिछले 3 वित्तीय वर्षों और वित्तीय वर्ष 2019-20 (दिनांक 11.11.2019 तक) के दौरान एनसीडीसी द्वारा दी गई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय सहायता का विवरण **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

लो.स.अता.प्र.सं.376

अनुबंध-I

युवा सहकार: सहकारी उद्यम (एंटरप्राइज़) सहायता और नवाचार योजना 2019

उद्देश्य

अपने आप को स्टार्ट-अप इंडिया और स्टेंड-अप इंडिया जैसे कार्यक्रमों के साथ क्रमबद्ध करते हुए इस पर ध्यान केन्द्रित करते हुए नए और नवाचारी विचारों के साथ युवा उद्यमियों को लक्षित करते हुए एनसीडीसी ने वर्ष 2018 में युवा सहकार- सहकारी उद्यम (एंटरप्राइज़) सहायता और नवाचार योजना को अधिसूचित किया था। इस योजना के कार्यान्वयन के आधार पर इस योजना को अब और अधिक व्यापक बनाया गया है और इसे एक नया शीर्षक 'युवा सहकार- सहकारी उद्यम (एंटरप्राइज़) सहायता और नवाचार योजना 2019' दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य सभी प्रकार की गतिविधियों कवर करते हुए सहकारिता के क्षेत्र में स्टार्ट-अप को सक्षम बनाना है।

इस योजना का उद्देश्य नए और/अथवा नवाचारी सुझावों वाली नई गठित सहकारी समितियों को बढ़ावा देना है। यह एनसीडीसी द्वारा निर्मित सहकारी स्टार्ट-अप और नवाचारी कोष से जुड़ा हुआ है। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र, नीति आयोग द्वारा चिंहित महत्वाकांक्षी जिलों में पंजीकृत और प्रचालित सहकारी समितियों, महिला/अजा./अजजा./पीडब्ल्यूडी की 100 प्रतिशत सदस्यता वाली सहकारी समितियों के लिए और भी अधिक उदार है।

पात्रता

क) नई, नवाचारी और मूल्य श्रृंखलावर्धन निहित परियोजनाओं वाली किसी भी प्रकार की सहकारी समिति।

ख) सहकारी समिति को कम से कम 3 महीनों के लिए प्रचालन में होनी चाहिए।

ग) सहकारी समिति की सकारात्मक नेट-वर्थ होनी चाहिए।

घ) सहकारी समिति ने प्रचालन के पिछले वर्ष (वर्षों) में नकद नुकसान न वहन किया हो, जैसा कि लागू है, और न ही पिछले 3 वर्षों (यदि समिति 3 साल से अधिक के लिए प्रचालन में है) में कोई नकद नुकसान वहन नहीं किया है।

परियोजना लागत

क) सहकारी समिति जो एक या एक से अधिक वर्ष के लिए प्रचालन में है, के मामले में परियोजना लागत 3 करोड़ रूपए से अधिक नही होनी चाहिए।

ख) सहकारी समिति जो 3 महीने से अधिक अवधि लेकिन एक वर्ष से कम अवधि के लिए प्रचालन में है, के मामले में परियोजना लागत 1 करोड़ रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि एक या एक से अधिक वर्ष के लिए प्रचालन वाली सहकारी समिति यदि उन्होने पहले से कोई सहायता प्राप्त की है उन्हें छोड़कर एक बार अपने प्रचालन का 1 वर्ष पूरा करने वाली सहकारी समिति यथा स्वीकृत सहायता के लिए पात्र हो जाएगी

ग) परियोजना की प्रकृति और गतिविधियों के आधार पर परियोजना के भाग के रूप में कार्यकारी पूंजी ऋण प्रदान किया जा सकता है। तथापि कार्यकारी पूंजी कुल परियोजना लागत की 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ऋण अवधि

ऋण की अवधि 5 वर्षों से अधिक नहीं हो सकती जिसमें मूलधन के भुगतान पर 2 वर्षों की ऋण स्थगन अवधि भी शामिल है। ऋण स्थगन की अवधि कम या ज्यादा हो सकती है जो इसकी परियोजना के प्रकार और राजस्व सृजन क्षमता पर निर्भर करती है।

ब्याज की दर

एनसीडीसी परियोजना गतिविधियों के लिए आवधिक ऋणों पर ब्याज की लागू दर से 2 प्रतिशत कम दर पर प्रोत्साहन के रूप में ऋण देगी। ब्याज सहायता समय पर भुगतान के मामले में केवल एक बार मान्य होगी।

सिक्योरिटी

एनसीडीसी की संतुष्टि के लिए सहकारी समिति निम्नलिखित किसी एक या अधिक संयोजन में ऋण के लिए सिक्योरिटी का प्रस्ताव दे सकती है:

क) प्रस्तावित परियोजना के तहत सृजित परिसंपत्तियों सहित परिसंपत्तियों को गिरवी रखना।
ख) अनुसूचित बैंकों का एफडीआर।
ग) विश्वसनीय सहकारी संस्थानों की गारंटी जो अच्छी वित्तीय स्थिति और प्रमाणित पृष्ठभूमि वाले संस्थान हैं।
घ) राज्य/केन्द्र सरकार की गारंटी
ङ) केन्द्रीय पीएसयू/सांविधिक निकाय/ केन्द्रीय पीएसयू के सीएसआर फाउंडेशन द्वारा गारंटी।
च) लघु किसान कृषि व्यवसाय परिसंघ (एसएफएसी)/पूर्वोत्तर विकास वित्तीय निगम (एनईडीएफआई)/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) की गारंटी।
छ) आवधिक जमा प्राप्ति (एफडीआर) और/ अथवा अनुसूचित बैंकों की गारंटी के रूप में निदेशक मंडल/सदस्यों की निजी गारंटी।

राजसहायता

केन्द्रीय क्षेत्र की समेकित कृषि सहकारिता योजना (सीएसआईएसएसी) अथवा अन्य किसी स्रोत के तहत राजसहायता के लिए प्रस्तावित गतिविधि हेतु पात्र व्यक्ति के मामले में भी यह लागू होगा। तथापि यदि परियोजना लागत में कार्यकारी पूंजी ऋण घटक शामिल हैं तो सीएसआईएसएसी राजसहायता तभी पात्र होगी जब केवल परियोजना लागत (कार्यकारी पूंजी को छोड़कर) परियोजना लागत के पूंजी निवेश हेतु पात्र होगी। परियोजना के शीघ्र और सुगम कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राजसहायता के बदले पात्र ऋण प्रदान किया जा सकता है। एनसीडीसी द्वारा आगे संवितरण करने के लिए जब भी राजसहायता प्राप्त होती है तब उसे ऋण खातें के सापेक्ष समायोजित किया जाएगा।

वित्तीय पद्धति (पैटर्न)

परियोजनाओं को ऋण: साम्या अनुपात वाली वित्तीय पद्धति सहित निम्नानुसार सहायता दी जाएगी:

श्रेणी-क:

80 प्रतिशत: 20 प्रतिशत

- पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सहकारी समिति।
- नीति आयोग द्वारा यथा चिंहित महत्वकांक्षी जिलों में पंजीकृत और प्रचालित किसी भी प्रकार की सहकारी समिति।
- 100 प्रतिशत महिला सदस्यों वाली किसी भी प्रकार की सहकारी समिति।
- 100 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांग सदस्यों वाली किसी भी प्रकार की सहकारी समिति।

श्रेणी-ख:

70 प्रतिशत: 30 प्रतिशत

- सभी प्रकार की गतिविधियों के लिए श्रेणी-क के तहत कवर न होने वाली किसी भी प्रकार की सहकारी समिति।

राजसहायता केवल प्रस्तावित गतिविधियों के लिए पात्र है, जो उपलब्धता के अध्यधीन है, ऋण घटक समानुपातिक रूप से कम हो सकता है।

लो.स.अता.प्र.सं. 376

अनुबंध-।।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार संस्वीकृति और निर्मुक्ति

दिनांक 01/04/2016 से 31/03/2017 तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्थान	संस्वीकृत			निर्मुक्ति		
	ऋण	राजसहायता	कुल	ऋण	राजसहायता	कुल
आंध्र प्रदेश	131600.80000	5520.20000	137121.00000	68850.24100	1176.49500	70026.73600
अरुणाचल प्रदेश	0.00000	0.00000	0.00000	720.34000	361.99000	1082.33000
असम	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	3.98700	3.98700
बिहार	31296.85000	236.92926	31533.77926	41138.00700	895.59226	42033.59926
नेफेड	30000.00000	0.00000	30000.00000	29999.74000	0.00000	29999.74000
फिशकोफेड	30.00000	0.00000	30.00000	30.00000	0.00000	30.00000
आईएफएफडीसी	0.00000	0.00000	0.00000	38.33000	0.00000	38.33000
एनएसीओएफ	10000.00000	0.00000	10000.00000	5000.00000	0.00000	5000.00000
गोवा	21.88000	6.25000	28.13000	0.00000	4.12000	4.12000
गुजरात	64505.64700	1817.42700	66323.07400	41045.43907	1358.60900	42404.04807
हरियाणा	350456.03000	24.88000	350480.91000	151229.27100	806.29508	152035.56608
हिमाचल प्रदेश	2977.59600	276.09300	3253.68900	4726.27050	1060.58100	5786.85150
जम्मू एवं कश्मीर	57.00800	20.36000	77.36800	80.47000	0.00000	80.47000
कर्नाटक	37869.60900	308.11000	38177.71900	24115.01745	664.48350	24779.50095
केरल	60373.63000	0.00000	60373.63000	46034.55400	244.72650	46279.28050
मध्य प्रदेश	117983.62400	144.25200	118127.87600	94571.32150	1720.35576	96291.67726
महाराष्ट्र	206795.13822	3896.12000	210691.25822	212707.22671	485.99400	213193.22071
मेघालय	0.00000	0.00000	0.00000	4.00000	0.57000	4.57000
मिजोरम	0.00000	0.00000	0.00000	806.28800	439.79300	1246.08100
नागालैंड	1334.99000	530.71000	1865.70000	1331.85400	112.66000	1444.51400
ओडिशा	321.72500	32.03000	353.75500	334.81250	130.29800	465.11050
पंजाब	6895.00000	480.00000	7375.00000	2720.00000	68.59200	2788.59200
राजस्थान	27502.91000	5482.80400	32985.71400	14969.45200	706.79383	15676.24583
तमिलनाडु	17655.22000	1163.16625	18818.38625	4760.95000	793.97753	5554.92753
त्रिपुरा	0.00000	0.00000	0.00000	99.00000	51.00000	150.00000
उत्तर प्रदेश	37174.52400	3519.42500	40693.94900	5616.16400	1697.75300	7313.91700
पश्चिम बंगाल	30640.80000	185.48000	30826.28000	3660.28500	98.71000	3758.99500
छत्तीसगढ़	801000.00000	0.00000	801000.00000	791967.40941	9.28500	791976.69441
झारखंड	0.00000	21.00000	21.00000	747.07600	114.95900	862.03500
उत्तराखंड	640.82000	264.52800	905.34800	176.19000	147.28800	323.47800
अन्य	0.00000	675.42004	675.42004	0.00000	675.42004	675.42004
तेलंगाना	405091.17000	130210.67000	535301.84000	28204.45000	1941.30750	30145.75750
कुल	**2372224.97122**	**154815.85455**	**2527040.82577**	**1575684.15914**	**15771.63600**	**1591455.79514**

जारी....

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार संस्वीकृति और निर्मुक्ति
दिनांक 01/04/2017 से 31/03/2018 तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्थान	संस्वीकृत			निर्मुक्ति		
	ऋण	राजसहायता	कुल	ऋण	राजसहायता	कुल
आंध्र प्रदेश	120295.38000	7085.08015	127380.46015	89544.90000	2104.72815	91649.62815
अरुणाचल प्रदेश	0.00000	0.00000	0.00000	1013.75000	466.06950	1479.81950
असम	3271.69000	1168.46000	4440.15000	218.84000	109.42000	328.26000
बिहार	61350.98000	354.50155	61705.48155	3285.93100	3051.87055	6337.80155
दिल्ली	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.77960	9.77960
आईएफएफडीसी	45.87188	0.00000	45.87188	84.20188	10.12812	94.33000
इफको	1000.00000	0.00000	1000.00000	1000.00000	0.00000	1000.00000
एनसीसीटी	0.00000	1.99000	1.99000	0.00000	1.99000	1.99000
एनएलसी फेडरेशन	0.00000	3.00000	3.00000	0.00000	3.00000	3.00000
एनएसीओएफ	0.00000	0.00000	0.00000	4930.00000	0.00000	4930.00000
गोवा	0.00000	0.00000	0.00000	12.70000	3.63000	16.33000
गुजरात	26689.53957	700.91800	27390.45757	26811.97550	597.73864	27409.71414
हरियाणा	32216.45000	138.96000	32355.41000	31833.47500	130.21470	31963.68970
हिमाचल प्रदेश	6173.55300	1762.09400	7935.64700	2702.74850	533.19039	3235.93889
जम्मू एवं कश्मीर	23.84900	17.71750	41.56650	274.05000	159.71875	433.76875
कर्नाटक	44745.15000	0.00000	44745.15000	44564.98500	458.43450	45023.41950
केरल	152689.01700	0.00000	152689.01700	91800.51650	1093.59500	92894.11150
मध्य प्रदेश	227933.65000	12.86000	227946.51000	265385.30700	554.57025	265939.87725
महाराष्ट्र	287659.83800	4124.87000	291784.70800	224012.58982	564.81100	224577.40082
मिजोरम	0.00000	0.00000	0.00000	534.06500	315.06300	849.12800
नागालैंड	3843.09200	1388.16800	5231.26000	893.21700	844.23750	1737.45450
ओडिशा	12121.86400	28.11200	12149.97600	3129.84550	212.03913	3341.88463
पंजाब	95000.00000	0.00000	95000.00000	38043.75000	0.00000	38043.75000
राजस्थान	10156.10200	66.87600	10222.97800	18262.11500	2131.66046	20393.77546
तमिलनाडु	1706.00000	0.00000	1706.00000	12816.47800	1494.19600	14310.67400
उत्तर प्रदेश	205900.00000	0.00000	205900.00000	183867.96900	157.45000	184025.41900
पश्चिम बंगाल	1723.25000	345.05000	2068.30000	943.39000	754.34900	1697.73900
छत्तीसगढ़	875800.00000	31.45050	875831.45050	855113.91030	31.45050	855145.36080
झारखंड	0.00000	28.48423	28.48423	0.00000	162.26541	162.26541
उत्तराखंड	171.80500	68.72200	240.52700	250.17700	81.95900	332.13600
अंडमान एवं निकोबार द्वीप	93.63200	24.64000	118.27200	88.70400	19.71200	108.41600
अन्य	0.00000	560.39356	560.39356	0.00000	560.39356	560.39356
तेलंगाना	81887.03400	20024.04200	101911.07600	275232.33100	3688.46286	278920.79386
कुल	2252497.74745	37936.38949	2290434.13694	2176651.92200	20306.12757	2196958.04957

जारी.....

लो.स.अता.प्र.सं. 376

अनुबंध-।। (जारी)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार स्वीकृति और निर्मुक्ति
दिनांक 04/01/2018 से 03/31/2019 तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्थान	संस्वीकृत			निर्मुक्ति		
	ऋण	राजसहायता	कुल	ऋण	राजसहायता	कुल
आंध्र प्रदेश	128467.68000	4288.65000	132756.33000	71529.21500	433.67900	71962.89400
अरूणाचल प्रदेश	1193.50000	426.25000	1619.75000	918.50000	113.75000	1032.25000
असम	2249.36400	865.14000	3114.50400	3271.69000	292.11000	3563.80000
बिहार	4152.95800	1483.20400	5636.16200	13811.48300	1529.07800	15340.56100
दिल्ली	0.00000	0.64178	0.64178	0.00000	5.01736	5.01736
नेफेड	300000.00000	0.00000	300000.00000	300000.00000	0.00000	300000.00000
आईएफएफडीसी	264.40000	105.76000	370.16000	264.40000	0.00000	264.40000
गोवा	38.76100	11.07700	49.83800	0.00000	0.00000	0.00000
गुजरात	17382.50500	502.19000	17884.69500	31675.92800	2164.22812	33840.15612
हरियाणा	30243.50000	7.20000	30250.70000	30908.14000	11.68100	30919.82100
हिमाचल प्रदेश	7045.61900	2214.09000	9259.70900	2779.98050	1738.90224	4518.88274
कर्नाटक	15506.09300	0.00000	15506.09300	26848.75500	75.50000	26924.25500
केरल	36369.03000	385.43000	36754.46000	27185.58100	176.38400	27361.96500
मध्य प्रदेश	167860.76200	134.80600	167995.56800	149798.86900	876.38423	150675.25323
महाराष्ट्र	167658.87000	404.87561	168063.74561	178209.34792	217.96861	178427.31653
मणिपुर	0.00000	35.40000	35.40000	0.00000	0.00000	0.00000
मेघालय	15084.00000	5387.00000	20471.00000	3771.00000	1347.00000	5118.00000
नागालैंड	0.00000	0.00000	0.00000	1575.94200	399.04000	1974.98200
ओडिशा	682.62000	46.96000	729.58000	433.21700	32.06700	465.28400
पंजाब	20000.00000	0.00000	20000.00000	10118.00700	411.40800	10529.41500
राजस्थान	530037.18000	11.44000	530048.62000	382632.36300	647.42600	383279.78900
सिक्किम	0.00000	14.16000	14.16000	0.00000	0.00000	0.00000
तमिलनाडु	300.00000	119.00000	419.00000	7979.74300	0.00000	7979.74300
उत्तर प्रदेश	132019.69200	521.24500	132540.93700	85688.40200	236.50000	85924.90200
पश्चिम बंगाल	66402.85000	21493.00000	87895.85000	32302.00000	632.13000	32934.13000
छत्तीसगढ़	850027.20000	6.80000	850034.00000	800027.20000	3.81000	800031.01000
झारखंड	2474.97000	951.91000	3426.88000	0.00000	82.75100	82.75100
उत्तराखंड	254921.67000	46301.59200	301223.26200	10523.21000	83.32400	10606.53400
अंडमान एवं निकोबार द्वीप	12472.43700	2020.59600	14493.03300	0.00000	0.00000	0.00000
अन्य	0.00000	554.18899	554.18899	0.00000	554.18899	554.18899
तेलंगाना	635388.30000	33696.80000	669085.10000	641785.16500	1148.28741	642933.45241
कुल	**3398243.96100**	**121989.40638**	**3520233.36738**	**2814038.13842**	**13212.61496**	**2827250.75338**

जारी....

लो.स.अता.प्र.सं. 376

अनुबंध-।।(जारी)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
वित्तीय वर्ष के दौरान राज्यवार संस्वीकृति और निर्मुक्ति
दिनांक 01/04/2019 से 11/11/2019 तक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्थान	संस्वीकृत			निर्मुक्ति		
	ऋण	राजसहायता	कुल	ऋण	राजसहायता	कुल
आंध्र प्रदेश	29846.45000	2414.90000	32261.35000	30011.38000	13.50000	30024.88000
असम	0.00000	0.00000	0.00000	518.55000	199.44000	717.99000
बिहार	40978.00000	14677.58000	55655.58000	622.90000	107.58000	730.48000
छत्तीसगढ़	400000.00000	19.65000	400019.65000	0.00000	22.64000	22.64000
गुजरात	2566.39000	273.61000	2840.00000	7312.55000	701.13000	8013.68000
हरियाणा	460000.00000	0.00000	460000.00000	260062.50000	31.06000	260093.56000
हिमाचल प्रदेश	2910.65000	750.56000	3661.21000	2528.89000	141.88000	2670.77000
झारखंड	0.00000	0.00000	0.00000	341.71000	483.23000	824.94000
कर्नाटक	3562.46000	5.72000	3568.18000	3588.96000	211.69000	3800.65000
केरल	37640.02000	500.00000	38140.02000	29042.32000	119.50000	29161.82000
मध्य प्रदेश	124980.00000	0.00000	124980.00000	57845.51000	591.96000	58437.47000
महाराष्ट्र	57467.82000	111.10000	57578.92000	30254.83000	493.59000	30748.42000
नागालैंड	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	91.67000	91.67000
मेघालय	15564.00000	5383.50000	20947.50000	0.00000	0.00000	0.00000
मिजोरम	67.50000	22.50000	90.00000	0.00000	0.00000	0.00000
ओडिशा	64.00000	16.00000	80.00000	137.71000	36.99000	174.70000
पंजाब	0.00000	0.00000	0.00000	1913.24000	0.00000	1913.24000
राजस्थान	510028.25000	8.29000	510036.54000	384769.90000	418.71000	385188.61000
तमिलनाडु	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	191.00000	191.00000
तेलंगाना	235000.00000	0.00000	235000.00000	222770.00000	547.71000	223317.71000
त्रिपुरा	0.00000	0.00000	0.00000	214.50000	0.00000	214.50000
उत्तर प्रदेश	125146.25000	66.66000	125212.91000	46628.40000	174.00000	46802.40000
उत्तराखंड	0.00000	0.00000	0.00000	357.07000	195.20000	552.27000
पश्चिम बंगाल	0.00000	0.00000	0.00000	10991.85000	328.00000	11319.85000
अंडमान एवं निकोबार द्वीप	0.00000	0.00000	0.00000	957.67000	70.00000	1027.67000
कुल	2045821.79000	24250.07000	2070071.86000	1090870.44000	5170.48000	1096040.92000

(समाप्त)

*****